

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
 अम्बेडकर भवन, जी-३/१, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया,
 राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर 302005

क्रमांक/एफ १(८)() सामा./सान्याअवि/2013/ ६३५।

जयपुर, दिनांक : १५/०१/२०१५

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ. १(८)सामान्य/सान्याअवि/१०/२२८७ दिनांक १०.०४.२०१२ में संशोधन करते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ५(१) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विभागीय कार्य विभाजन के अनुसार समस्त शाखा प्रभारियों को उनके अनुभाग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय, जयपुर में लोक सूचना अधिकारी निमानुसार नियुक्त किया जाता है:-


क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पद	अनुभाग का नाम	लो.सू. अधिकारी पद नाम
1.	अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन)	संस्थापन पी-१, डीपीसी (राजपत्रित), एसीआर, पैशन, लेखा भुगतान, सामान्य प्रशासन	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
2.	अतिरिक्त निदेशक, (अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण), मुख्यावास	छात्रावास अनुभाग	अतिरिक्त निदेशक, (अनुसूचित जाति / जनजाति कल्याण), मुख्यावास (छात्रावास एवं छात्रवृति से सम्बन्धित सूचना)
3.	अतिरिक्त निदेशक (पैशन एवं पन्नाधाय)	पैशन एवं पन्नाधाय अनुभाग	अतिरिक्त निदेशक (पैशन एवं पन्नाधाय) एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
4.	वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास	लेखा शाखा	वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
5.	अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा)	नशामुक्ति, वृद्ध कल्याण अनुभाग	अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
6.	अतिरिक्त निदेशक (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग)	अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग अनुभाग	अतिरिक्त निदेशक (अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग) एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
7.	अतिरिक्त निदेशक (अनुसूचित जाति उपयोजना)	अनुसूचित जाति उपयोजना प्रशासन	अतिरिक्त निदेशक (अनुसूचित जाति उपयोजना) एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
8.	उप निदेशक (प्रशासन), मुख्यावास	संस्थापन पी-२,३,४,५ एवं डीपीसी (अराजपत्रित), जांच, अभाव अभियोग, स्टोर, संविदा, पुस्तकालय, रिकोर्ड संधारण, वाहन पूल, एवं केयर टेकर	उप निदेशक (प्रशासन) एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
9.	उप निदेशक (देवनारायण), मुख्यावास	देवनारायण योजना	उप निदेशक, देवनारायण योजना एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
10.	उप निदेशक (राईस)	आवासीय विद्यालय प्रकोष्ठ	उप निदेशक (राईस) (आवासीय विद्यालय से सम्बन्धित सूचना)
11.	उप निदेशक (पिछड़ी जाति), मुख्यावास	पिछड़ी जाति अनुभाग	उप निदेशक (पिछड़ी जाति) एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
12.	परियोजना निदेशक (पी.एफ. ए.एण्ड एम.)	पी.एफ.ए.एण्ड एम. अनुभाग	परियोजना निदेशक (पी.एफ.ए.एण्ड एम.) एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर

13.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास	कम्प्यूटर अनुभाग	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
14.	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, मुख्यावास	परिवीक्षा अनुभाग	मुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
15.	उप विधि परामर्शी, मुख्यावास	विधि अनुभाग	उप विधि परामर्शी एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
16.	सहायक निदेशक, (शिक्षा), मुख्यावास	छात्रवृत्ति अनुभाग	सहायक निदेशक (शिक्षा) एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
17.	उप निदेशक (मोनेटरिंग राईस), मुख्यावास	राईस अनुभाग	परियोजना निदेशक, एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
18.	सहायक निदेशक (महिला कल्याण)	महिला कल्याण अनुभाग	सहायक निदेशक एवं लोक सूचना अधिकारी, जयपुर
19.	सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)	प्रचार अनुभाग	विभागीय योजना एवं प्रचार से सम्बन्धित सूचना

निदेशालय के उक्त अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे संदर्भित अधिनियम की धारा 5(2) के परन्तुक एवं धारा 7(1) के अनुसार निर्धारित समयावधि (30 दिवस) में किसी व्यक्ति द्वारा धारा 2 (आई) में उल्लेखित राजकीय प्रलेखों की प्रतिलिपि धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा सूचना के अधिकार के अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में एक रजिस्टर का वर्षावार संधारण करेंगे, जिसमें वांछित कॉलम बनाकर लोक सूचना अधिकारी से प्रमाणित करवाकर लेखा—जोखा रखेंगे।

उक्त अधिकारी प्राप्त सूचना हेतु एक रजिस्टर का संधारण करेंगे तथा आवेदक से प्राप्त राशि/शुल्क निदेशालय के कैशियर को जमा कराया जाकर आवेदक को सीधे ही सूचना उपलब्ध कराने की सुनिश्चिता करेंगे।

इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।


आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक/एफ 1(8)() सामा./सान्चाअवि/2013/ ६३५२ -७२

जयपुर, दिनांक : १५/०१/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
4. अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (अनु.जा./ज.जा.कल्याण)/(सामाजिक सुरक्षा)/(पेंशन एवं पन्नाधाय)/(अनुसूचित जाति उपयोजना)/(अन्य पि.वर्ग एवं वि.पि.वर्ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन)/(पिछड़ी जाति)/(देवनारायण)/(राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
7. सहायक निदेशक (छात्रावास)/(शिक्षा एवं छात्रवृत्ति)/(महिला कल्याण)/(जनसम्पर्क), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यावास।
9. परियोजना निदेशक (पी.एफ.एण्ड.ए.एम.), जयपुर।
10. निदेशालय के समर्त शाखा प्रभारी
11. कार्यालय अधीक्षक, मुख्यावास।
12. कार्यालय आदेश पत्रावली।



आयुक्त एवं शासन सचिव